

झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
संख्या-10

अष्टम (बजट) सत्र

मंगलवार, दिनांक-31 जनवरी, 2017 ई०।

समय-11:00 बजे पूर्वाह्न से 05:17 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया

1. विविध चर्चायें:-

- i- राँची जिलान्तर्गत बुंडू में आक्रोशित किसानों द्वारा बीच सड़क पर टमाटर को फेंक दिये जाने संबंधी आज सभी अखबारों में प्रकाशित समाचार की ओर माननीय सदस्य, श्री राज कुमार यादव ने आसन का ध्यान आकृष्ट किया,
- ii- माननीय सदस्य, श्री स्टीफन मराण्डी द्वारा निलम्बित चार विधायकों के निलम्बन पर आज ही फैसला सुनाये जाने हेतु आसन से आग्रह किया गया जिसका समर्थन कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम एवं श्री मनोज कुमार यादव ने भी किया। आसन द्वारा उचित समय पर निर्णय लिये जाने हेतु अपनी भावना प्रकट की गयी,
- iii- माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने आसन से आग्रह किया कि चूंकि निलम्बित विधायकों के माननीय नेताओं द्वारा खेद प्रकट कर लिया गया है, अतएव अब निलम्बन वापस होना चाहिए,
- iv- माननीय विपक्षी सदस्यों द्वारा की जा रही मांग के विरोध में सत्तापक्ष के माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा, श्री बिरंची नारायण, श्री राम कुमार पाहन, श्री जीतू चरण राम एवं श्री जानकी प्रसाद यादव द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर विरोध किया जाने लगा,
- v- झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के प्रायः सभी माननीय सदस्य घांती, गमछा, स्लोगनयुक्त अंगवस्त्र एवं हरी पगड़ी धारण कर सदन की वेल में आकर पूर्व की मांगों के समर्थन में नारेबाजी करने लगे, इससे भारी शोरगुल एवं अव्यवस्था का माहौल कायम हो गया जिसे देखते हुए सदन की कार्यवाही 11:14 बजे पूर्वा० से 12:45 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

- i- इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री नारायण दास द्वारा देवघर बाबा मंदिर में श्री अच्युतानंद पंडा जी की ताजपोशी कोर्ट के आदेशोपरांत भी नहीं होने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया गया जिसे संसदीय कार्य मंत्री द्वारा संज्ञान में लिया गया,
- ii- गोड्डा में पिछले 36 घंटे से बिजली गुल होने से उत्पन्न समस्याओं की ओर आसन का ध्यान माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने आकृष्ट किया,
- iii- माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा निलम्बित विधायकों के निलम्बन शीघ्र वापसी की मांग की गयी जिसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव एवं श्री मनोज कुमार यादव द्वारा भी किया गया,
- iv- सोशल मीडिया पर निलम्बित विधायकों की दिखाई जा रही मंशा की ओर आसन का ध्यान माननीय सदस्य, श्री मनीष जायसवाल द्वारा आकृष्ट करते हुए आपत्ति जतायी गयी।

(शोरगुल)

2. सभा मेज पर प्रतिवेदनों का रखा जाना:-

- i- माननीय सभापति, श्री फूलचन्द मण्डल द्वारा युवा संस्कृति खेलकूद एवं पुस्तकालय विकास समिति का षष्ठम् प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया,
- ii- माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा निबेदन, शून्यकाल तथा गैर-सरकारी संकल्प समिति का प्रथम प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया,
- iii- माननीय सदस्य, श्री योगेश्वर महतो द्वारा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 15, 16, एवं 17 वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी,
- iv- माननीय सभापति, श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी द्वारा सदाचार एवं विधायक निधि अनुश्रवण समिति का नवम् प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया,
(इस अवसर पर झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के माननीय सदस्य सदन की बेल में आकर पूर्व की माँगों को लेकर नारेबाजी करने लगे।)

3. वित्तीय कार्य:-

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग) की माँग माननीय प्रभारो मंत्री, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा रखी गयी जिसपर माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

इस अवसर पर झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के माननीय सदस्य अपनी पूर्व की माँगों को लेकर सदन की बेल में आकर नारेबाजी करने लगे। इनके द्वारा बार बार सदन को बाधित किये जाने को लेकर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दुःख व्यक्त किया गया।

4. कार्यमंत्रणा समिति की बैठक:-

आज दिनांक-31.01.2017 को कार्यवाही स्थगन के उपरांत अध्यक्षीय कक्ष में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आहूत होने की सूचना आसन द्वारा दी गई एवं संबंधित माननीय सदस्यों को उपस्थित होने हेतु आग्रह भी किया गया।

इस क्रम में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी की जाती रही, अतएव अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 2.17 बजे अप० से लेकर 3.00 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गई।

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

(इस अवसर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को प्राप्तांक के आधार पर छात्रवृत्ति दिये जाने सम्बन्धी सरकारी आदेश को माननीय सदस्य, श्री शिवशंकर उरांव द्वारा वापस लिये जाने की माँग की गयी जिसे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आसन के निदेश से संज्ञान में लिया गया और आश्वस्त किया गया कि इस सम्बन्ध में विचारोपरांत छात्र-छात्राओं के हक में ही फैसला लिया जायेगा।)

P.T.O. →

